प्रेषक

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ताा विवाद प्रतितोष
आयोग द्वितीय, मुरादाबाद

सेवा में,

माननीय निबधक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
उ0 प्र0 लखनऊ।

पत्रांक 141 / जि0उप0वि0प्रति0आ0द्वि0मुरा0 / 22 दिनांक 02 अप्रैल 2022

विषय जिला आयोग द्वितीय मुरादाबाद हेतु मध्यस्थता को पैनलबद्ध करने हेतु आवेदन के प्रारूप को मा0 राज्य आयोग उ0 प्र0 लखनऊ की वेब साइट पर अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मा0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0 प्र0 लखनऊ के पत्रांक 3426 / एस0सी0डी0आर0सी0 / अधि0101 / 16 दिनांक 02–12–2021 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग–2 उ0 प्र0 शासन की अधिसूचना स0सी.पी.480 / 2021 / 84–2–2021–सी.एन. 1369528 दिनांक 15–11–2021 के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण(मध्यस्थता) विनियमन, 2020 की धारा–5 के अनुसार इस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय मुरादाबाद हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध किया जाना है इस संबंध प्रविधान के अनुसार जिला सूचना अधिकारी मुरादाबाद दैनिक जागरण समाचार पत्र / राष्ट्रीय दैनिक जागरण में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित करते हुये उत्तर केसरी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करा दिया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है मा0 राज्य आयोग उ0 प्र0 लखनऊ की वेबसाइट पर नियुक्तियों से संबंधित शर्तो एवं आवेदन का प्रारूप अंतिम तिथि सहित अपलोड कराने की कृपा करें।

भवदीय

(अलका श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय
मुरादाबाद।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग–द्वितीय, मुरादाबाद,

(कचहरी परिसर, सिविल कोर्ट क्लब बिल्डिंग, मुरादाबाद)

सूचना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग–द्वितीय मुरादाबाद से संबद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा–75 उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–480/2021/ 84–2–2021–CN/1369528 दिनांक 15.11.2021 के संदर्भ में पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:–

1. माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं।
2. उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य हैं।
3. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश या किसी राज्य की उच्च् न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य हैं।
4. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं, जिनके पास कम से कम दस वर्ष का अनुभव है।
5. बार में कम से कम दस साल के अनुभव के साथ वकील हैं।
6. भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ के साथ पैनलबद्ध मध्यस्थ हैं।
7. मध्यस्थता या सुलह में कम से कम पॉच साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति हैं।
8. कम से कम पंद्रह वर्ष के अनुभव के साथ विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

2– मध्यस्थों के नियम और शर्तें, मध्यस्थों को देय शुल्क सहित, उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होंगी।

3– पात्र व्यक्ति अपने आवेदन पत्र इस तरह भेजेंगे कि उनके सभी तरह से पूर्ण आवेदन, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग–द्वितीय, कचहरी परिसर, मुरादाबाद तक अधिकतम दिनांक 08.04.2022 अपरान्ह 5.00 बजे तक पहुँचें। इसके वाद किसी भी कारण से प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा। पूर्ण जानकारी एवं आवेदित प्रारूप पत्र को विभाग की बेवसाईट http://scdrc.up.nic.in/ से डाऊनलोड किया जा सकता है।

4– चयन समिति उम्मीदवारों की उपयुक्तता, सत्यनिष्ठा के साथ–साथ प्रासंगिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए, आवेदनों की जांच और शार्टलिस्टिंग और अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रकिया निर्धारित करने के लिए किसी भी मानदंड को अपना सकती है।

5– इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन अनुलंग्नक–1 में दिये प्रारूप में जमा कर सकते हैं।

आदेश द्वारा प्रकाशित

(अलका श्रीवास्तव)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष–द्वितीय,
मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक–1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग–द्वितीय, मुरादाबाद से संबंद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ के लिए मध्यस्थ के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन

1	नाम		एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधित सत्यापित हो
2	(ए) पिता का नाम (बी) माता का नाम		
3	वैवाहिक स्थिति: विवाहित या अविवाहित, विवाहित हैं तो जीवनसाथी का नाम व व्यवसाय		
4	जन्म तिथि		
5	स्थायी पता		
6	मोबाईल नम्बर और ईमेल आईडी के साथ पत्राचार का पता		
7	वर्तमान व्यवसाय और वार्षिक आय		
8	शैक्षिक योग्यता		
9	मध्यस्थता और शैक्षिणिक क्षेत्र/सेवा में अनुभव		
10	क्या आपने कभी राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पोस्ट पर कार्य किया है? यदि हॉ तो विवरण दें,		
11	क्या आपने कभी मध्यस्थता का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है? यदि हॉ, तो विवरण दें और अपेक्षित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करें		
12	(ए) स्थायी खाता संख्या (पैन) (बी) आधार संख्या		
13	क्या आवेदक के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज किया गया है,		
14	क्या आवेदक पर किसी अपराधिक मामलें में आरोप पत्र दायर किया गया है? यदि हॉ, तो उसका ब्योरा		
15	क्या आवेदक को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया गया है? हॉ तो ततंबंधी ब्योरा		
16	कोई अन्य जानकारी जो कॉलम नंबर 1 से 15 के अंतर्गत नहीं आती है		

संलग्नक–

आवेदक के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक.......................................

स्थान.......................................

टिप्पणियॉ–

1– आयु, शैक्षिणिक योग्यत, अनुभव आदि के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।

2– सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में दिनांक 08.04.2022 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए।

3– उम्मीदवार को ऊपर दिये गये निर्देशों और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

Scanned with CamScanner